तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 264/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/503) बअनवान श्रवण चौहान बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

श्रवण चौहान

बनाम

राजस्थान सरकार इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री करूणानिधि व्यास, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
3. श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो से सात व नौ

आदेश

दिनांक 22 मई 2026

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ए/393/2024 अनवान श्रवण चौहान बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 जुलाई 2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 09 सितंबर 2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1059 रकबा 2.14 बीघा ग्राम मण्डोर तहसील जोधपुर का अपीलार्थी सहखातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजीयात सहखातेदारी की भूमि होने से वादग्रस्त आराजीयात के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजीयात का मौके पर विधिवत रूप से बंटवाड़ा नही हुआ है। विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद विचाराधीन है। विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 264/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/503) बअनवान श्रवण चौहान बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.10.2024 के जरिये अंतरिम आदेश बहक अपीलार्थी प्रदान कर अस्थाई निषेधाज्ञा से पक्षकारान को पांबद किया था, किंतु अपीलाधीन आदेश के जरिये विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का अपास्त कर दिया। रेस्पोडेंट्स द्वारा बंटवारा जरिये इकरारनामा बाबत् सहमति बताया है, उसके नक्शे को दिनांक 28.10.2009 को हस्ताक्षरित किया था और दस्तावेज को दिनांक 02.04.2011 को हस्ताक्षर किया गया था। उक्त दस्तावेज मे प्रत्येक खातेदार को मौके पर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् कृषि भूमि में उसके हक व अधिकारों के अनुसार कब्जे मे भूमि प्राप्त हो गई हो, ऐसा तथ्य अंकित नही है। अपीलार्थी का जरिये राजस्व वाद मूल विवाद यही पेश किया है कि मौके पर अपीलार्थी को उसके हक व अनुसार कृषि भूमि प्राप्त नही हुई है, मौके पर जो कृषि भूमि अप्रार्थीगण द्वारा बताई जा रही है, वह विरोधाभासी है। ऐसी परिस्थिति में संयुक्त खातेदारी का प्रत्येक खातेदार विधिवत बंटवारा बाबत् सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद पेश कर ही न्याय प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत मामले मे भी अपीलार्थी ने विधिवत बंटवारा की राहत प्राप्त करने के लिए ही वाद पेश किया है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो. के द्वारा पेश एक मात्र कथन कि खातेदारान ने एक अपंजीकृत दस्तावेज पर आपसी बंटवारा कर लिया था, इसे आधार मानकर आलौच्य निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निर्णय खारिज करवाने योग्य है। रेस्पोडेंट को विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त भूमि का बिना बंटवाड़ा करवाये बैचान हस्तांतरण या निर्माण कार्य कर दिया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किये जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को विधिविरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 264/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/503) बअनवान श्रवण चौहान बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 जुलाई 2025 को अपास्त किया जावे एवं माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पो. संख्या दो से सात व नौ की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते केवल रेस्पोडेंट्स को पाबंद नहीं किया जाकर उभय पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का आदेश जारी किये जावे का निवेदन किया तथा इस आशय के आदेश में अपनी सहमति प्रदान की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण कें तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक विवादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नंबर 1059 रकबा 2.14 बीघा ग्राम मण्डोर तहसील जोधपुर अपीलांट की पुश्तैनी भूमि होकर सहखातेदारी की भूमि है। अपीलांट की ओर से विवादग्रस्त भूमि के संबंध में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। मूल वाद के विचाराधीन रहते रेस्पोडेंट्स द्वारा विवादग्रस्त भूमि के विशेष भू–भाग का बेचान हस्तांतरण किया जाता है अथवा मौके पर विशेष भू–भाग पर निर्माण कार्य किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 264/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/503) बअनवान श्रवण चौहान बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

क्षति होना संभावित है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पो. पक्ष की ओर से भी मूल वाद के विचाराधीन रहते उभय पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों एवं दस्तावेजों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 जुलाई 2025 को अपास्त किया जाता है एवं उभय पक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1059 रकबा 2.14 बीघा ग्राम मण्डोर तहसील जोधपुर के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर